रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/सामान्य/2020/1686 जबलपुर, दिनांक 23/11/2020

अधिसूचना

1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/सामान्य/2017/2217, जबलपुर दिनांक 27/4/2017 के अनुक्रम में यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक जिनका पंजीकरण 18/6/1984 के बाद हुआ है एवं जिन्होंने पंजीकरण का नवीनीकरण विश्वविद्यालय के परिनियम 15 में वर्णित नियमानुसार नहीं कराया है । उनका पंजीकरण एतद् निरस्त घोषित किया जाता है ।
2. स्नातक कोर्ट चुनाव हेतु विश्वविद्यालय में जमा आवेदनों की प्रावधिक सूची को विश्वविद्यालय की website www.rdunijbp.in.org पर देखा जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को समाचार पत्र में प्रावधिक सूची की सूचना प्रकाशित की गयी थी, और प्रावधिक सूची की आपत्तियों के निराकरण हेतु 15 दिवस का समय दिया गया था। प्रावधिक सूची में निराकरण हेतु पुनः 15 दिवस का समय, समाचार प्रकाशित होने की तिथि से दिया जा रहा है। कृपया आवेदक उक्त अवधि में आपत्तियों का निराकरण शीघ्र कर लें, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र, रा.दु.वि.वि., जबलपुर को इस निवेदन के साथ की वो इसे विश्वविद्यालय की बेबसाइड पर शीघ्र अपलोड करें।
4. संपादक महोदय.. को इस निवेदन के साथ की वो इसे अपने आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक कुलसचिव (सामान्य विभाग)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर